

फार्म क्रमांक 8
मध्यप्रदेश शासकीय "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना" -2003 नामांकन प्रपत्र

मध्यप्रदेश शासकीय "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना" -2003 के अंतर्गत लाभों के लिए नामनिर्देशन जब शासकीय सेवक का कोई परिवार हो और वह उसके सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता/चाहती हो ।

मैं एतद्वारा सेवा में रहते हुए, मेरी मृत्यु हो जाने पर देय हुई या मेरे द्वारा अधिवाषिकी की आयु पूरी कर लेने पर संदेय हुई किन्तु मृत्यु के समय अंशदत्त रही ऐसी किसी भी रकम को जो को म.प्र."कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना" -2003 के अंतर्गत स्वीकृत की जाये, नीचे विनिर्दिष्ट परिमाण में प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो कि मेरे परिवार का/के सदस्य हैं । नामनिर्देशित करता/करती हूँ और उसे/उन्हे उक्त रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ :-

नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों का/के नाम तथा पता/पते	शासकीय कर्मचारियों से संबंध	आयु	प्रत्येक को कितना हिस्सा भुगतान किया जायेगा	किन घटनाओं के घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम पता तथा संबंध यदि कोई हो, जिसे शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु के पूर्व नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामनिर्देशिती का अधिकार संक्रांत हो जायेगा

टिप्पणी - शासकीय कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के बाद खाली स्थान के आर-पार एक रेखा खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम अंतः स्थापित न किया जा सके ।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर _____

1. नाम एवं पता _____

हस्ताक्षर _____

2. नाम एवं पता _____

नामांकन स्वीकार करने के ब्यौरे :-

हस्ताक्षर _____

कर्मचारी का नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय का नाम _____

दिनांक

स्थान

कार्यालय प्रमुख का नाम _____

कार्यालय का नाम _____

नामांकन स्वीकार करने की दिनांक _____

नोट:- यदि स्वीकृत कर्ता अधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर नहीं होंगे तो नामांकन वैध नहीं होगा ।